निगरानी/टी.ए./3230/2024/जयपुर (ग्रामीण)
विमला देवी बनाम चौथमल

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	एकल पीठ **श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य** उपस्थित– श्री ईश्वर देवडा, अभिभाषक प्रार्थीगण **दिनांक : 06–08–2024** **निर्णय** यह निगरानी राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर द्वारा प्रकरण सं. 965/2023 में पारित आदेश दिनांक 02–11–2023 के विरूद्ध धारा 230 सपठित धारा 221 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के तहत पेश की गई है। अभिभाषक प्रार्थीगण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय ने आक्षेपित आदेश दिनांक 02–11–2023 द्वारा स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलांट के अभिभाषक की बहस सुनने के उपरान्त कोई आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया जाना उचित समझते हुए अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया है एवं तब तक उभय पक्ष को विवादग्रस्त भूमि की मौके एवं राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने तथा रेस्पो0को नोटिस जारी करने का आदेश दिया है। उक्त आदेश की प्रकृति पूर्णतया अन्तरिम है, जो केस डिसाइडेड की परिभाषा में नहीं आता है एवं जिसके विरूद्ध निगरानी संधारण योग्य नहीं है। अतः यह निगरानी ग्राह्यता के स्तर पर खारिज की जाती है। अधीनस्थ अपीलीय न्यायालय को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनकर स्थगन प्रार्थना पत्र का तीस दिवस में निस्तारण करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। निर्णय सुनाया गया। **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	